

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

MST/Dir.No-8/6
14/11/14

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Income-tax)

(INCOME TAX)

New Delhi, dated the 13th November, 2014

S.O. (E).--- In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O.359, dated the 30th March, 1988 published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part-II, Section 3, Sub-section (ii), with effect from the 15th November, 2014, namely :-

In the said notification,--

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Principal Directors General, Principal Chief Commissioners, Directors General and Chief Commissioners, [including Directors General of Income-tax (Investigation), Chief Commissioners of Income-tax (Central), Director General of Income-tax (I and CI) and Chief Commissioner of Income-tax (Exemptions)] shall be subordinate to the Central Board of Direct Taxes”;

(ii) clause (aa) shall be omitted.

[Notification No. 68/2014. F. No. 187/30/2014 (ITA.I)]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

Note :- The Principal notification No. S.O.359, dated the 30th March, 1988 was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary), dated the 30th March, 1988 and amended vide S.O.229(E), dated the 21st March, 1996 and S.O.2813(E), dated the 3rd November, 2014.

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II खंड, 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक: 13 नवम्बर, 2014

का.आ (अ). आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988, जिसे भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग-II खंड, 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावित होने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(क) आयकर (मध्य) के प्रधान महानिदेशक, प्रधान मुख्य आयुक्त, महानिदेशक, मुख्य आयुक्त [आयकर (जांच) की महानिदेशक, आयकर (मध्य) के मुख्य आयुक्त, आयकर महानिदेशक (आई एण्ड सी आई) और मुख्य आयुक्त, आयकर (छूट) समेत] केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीनस्थ होंगे।"

(ii) उपवाक्य (कक) को निरसित किया जाता है।

[अधिसूचना संख्या 68/2014.फा.सं.187/30/2014(आईटीए.1)]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या का. आ. 359, दिनांक 30 मार्च 1988 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II खंड, 3 उपखंड (ii) में दिनांक 30 मार्च 1988 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या का. आ. 229 (अ), दिनांक 21 मार्च, 1996 और का. आ. 2813(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के द्वारा संशोधन किया गया है।

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्राणलय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र
(निकट राजौरी गार्डन), नई दिल्ली ।